

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/50/2019/10-11/6/4447

भोपाल, दिनांक 5/10/23

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

**विषय:-**जिला दतिया एवं जिला ग्वालियर के अन्तर्गत मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु 1305.142 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र-2 डबरा जिला ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/IRRIG/40397/2019).

**संदर्भ:-**भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-28/2021-FC दिनांक 14.09.2023

---00---

विषयांकित प्रकरण मे भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से चाही गई अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं की जानकारी का उत्तर निम्नानुसार संलग्न प्रस्तुत है :-

| क्रं | चाही गई जानकारी   | उत्तर   |
|------|---|---|
| i    | The details of distribution network like canals and pipelines, which may further have required diversion of forest land etc. has not been given. The State Govt. has not provided the complete lay out plan indicating all the components like canal, pipelines etc. The detail of the area requirement for these components has also not been submitted.               | आवेदक विभाग द्वारा Distribution Network Map for canals and pipeline को आनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में अतिरिक्त जानकारी के टेबल के बिन्दु क्रं.-18 मे अपलोड किया गया है। |
| ii   | The Chief Wildlife Warden in its recommendations dated 25.07.2023 has mentioned that a huge population of Crocodiles are found in Sindh river and the construction of proposed dam on the Sindh river will further lead to Man-Crocodile conflict. However the State Govt. has not submitted their comments on the said observation along with the mitigation measures. | इस संबंध में लेख है, कि परियोजना अंतर्गत Wildlife Management Plan तैयार किया जा रहा है, जिसे भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जावेगा।         |
| iii  | The detailed Compensatory Afforestation scheme for the proposed non forest land (Ravine land) and degraded forest land has not been submitted and same has not been found uploaded on Parivesh portal.  | प्रकरण में तैयार क्षतिपूर्ति वनीकरण योजनाओं को आनलाईन बेवपोर्टल के भाग-II के बिन्दु क्रमांक 13 के नीचे अतिरिक्त जानकारी की टेबल में अपलोड कर दी गयी है।               |

अतः प्रकरण में अनुरोध है, कि भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5/10/23

पृ. क्रमांक/एफ-3/50/2019/10-11/6/4448

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
  2. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल, दतिया/ग्वालियर/भिण्ड, मध्यप्रदेश।
  3. कार्यपालन यंत्री, हर्सी हाई लेवल नहर संभाग क्रं.-2 डबरा, जिला-ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

मध्यप्रदेश, भोपाल